

राजस्थान विधान सभा
चतुर्थ सत्र
विधान सभा समाचार (बुलेटिन)
भाग-2
(विधान शाखा)

(विधान सभा के कार्य तथा अन्य विषयों के बारे में सामान्य जानकारी)

संख्या : 26

विधान सभा भवन,
जयपुर, दिनांक 09 मार्च, 2010

निदेशानुसार समस्त माननीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि वर्ष 2010-11 के लिये अनुदान की मांगें जिन तिथियों को तथा जिस क्रम में विचारार्थ प्रस्तुत की जायेगी, उन्हें नीचे दर्शाया गया है :-

दिनांक 16 मार्च, 2010

मांग संख्या – 30
मांग संख्या – 32
मांग संख्या – 22

जनजाति क्षेत्रीय विकास
नागरिक आपूर्ति
क्षेत्र का विकास

दिनांक 17 मार्च, 2010

मांग संख्या – 27
मांग संख्या – 46
मांग संख्या – 38

पेयजल
सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित)
लघु सिंचाई एवं भूमि संरक्षण

दिनांक 18 मार्च, 2010

मांग संख्या – 42
मांग संख्या – 43
मांग संख्या – 09

उद्योग
खनिज
वन

दिनांक 19 मार्च, 2010

मांग संख्या – 33
मांग संख्या – 07

सामाजिक सुरक्षा और कल्याण
(महिला बाल कल्याण सहित)
निर्वाचन

दिनांक 22 मार्च, 2010

मांग संख्या – 16
मांग संख्या – 17

पुलिस
कारागार

दिनांक 23 मार्च, 2010

मांग संख्या – 37
मांग संख्या – 39

कृषि
पशुपालन एवं चिकित्सा

दिनांक 25 मार्च, 2010

मांग संख्या – 26
मांग संख्या – 23

चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई
श्रम और रोजगार

दिनांक 26 मार्च, 2010

मांग संख्या – 24

शिक्षा कला एवं संस्कृति

...2...

उपरोक्त मांगों से संबंधित कटौती-प्रस्ताव जिस दिन मांग सदन में विचारार्थ ली जायेगी, प्रस्तुत किये जायेंगे तथा प्रत्येक मांग पर मतदान भी उसी दिन होगा ।

अनुदान की मांग पर वाद-विवाद के अन्तिम दिन अर्थात् 26 मार्च, 2010 को जो मांगे शेष रह जायेंगी, उस पर मुखबन्द का प्रयोग किया जाकर उन्हें सदन में मतदान हेतु तुरन्त प्रस्तुत किया जायेगा ।

राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम-148 के अनुसार कटौती प्रस्तावों की सूचना, मांग के सदन में विचारार्थ लिये जाने के दो दिन पूर्व (कार्य दिवस) मध्याह्न 1.00 बजे तक प्राप्त होने पर ही उनकी ग्राह्यता पर विचार किया जा सकेगा । साथ ही प्रक्रिया के नियम 148-का के अन्तर्गत किसी एक मांग के अनुदान को कम करने के पाँच से अधिक कटौती प्रस्तावों की सूचना ग्राह्य नहीं होगी ।

एच.आर. कुड़ी,
सचिव ।